

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या - 133/2022

पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1 पन्नालाल पिता हरलाल कुमावत उम्र वयस्क निवासी गेगवा तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
----- (प्रार्थी)

बनाम

- 1 उदयलाल पिता छगना पण्डा उम्र वयस्क निवासी धनोप तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 2 कैलाश पिता गोकुल कुमावत उम्र वयस्क निवासी गेगवा तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 3 रामदेव पिता गोकुल कुमावत उम्र वयस्क निवासी गेगवा तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 4 भागीरथ पिता हरलाल कुमावत उम्र वयस्क निवासी गेगवा तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 5 रतन पिता रामकरण कुमावत उम्र वयस्क निवासी गेगवा तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 6 गोपाल पिता रामकरण कुमावत उम्र वयस्क निवासी गेगवा तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 7 मु. घीसी पुत्री रामकरण कुमावत उम्र वयस्क निवासी गेगवा तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 8 भूमिधारी तहसीलदार फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा

उपस्थित-

----- (अप्रार्थीगण)

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री सुनील कुमार शर्मा

अप्रार्थी अधिवक्ता- श्री अनिल शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 05.04.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में दिनांक 25.07.2022 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम गेगवा पटवार मण्डल रलायता भू.अ.नि. धनोप तहसील फूलियाकंला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 42 के आ.न. 111 रकबा 0.28 हैक्टर, एवं खतौनी संख्या 43 के आ.न. 162, 169, 171/2, 172/2, 174/2, 184, 185, 186/2 किता 8 रकबा 1.21 हैक्टर, भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 25.07.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। विपक्षी संख्या 04 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल शर्मा द्वारा वकालत नामा प्रस्तुत किया गया, परन्तु विहित समायवधी में जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने से विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 04 एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अवशेष विपक्षीगण सूचित होने के उपरान्त भी अपना पक्ष रखने, हाजिर नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम गेगवा पटवार मण्डल रलायता भू.अ.नि. धनोप तहसील फूलियाकंला में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 42 के आ.न. 111 रकबा 0.28 हैक्टर, एवं खतौनी संख्या 43 के आ.न. 162, 169, 171/2, 172/2, 174/2, 184, 185, 186/2 किता 8 रकबा 1.21 हैक्टर, भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक धनोप को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकेश मीना)
उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकंला, जिला-भीलवाड़ा